## न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म०प्र०

प्रकरण क्रमांक : 314 / 2012 आर.सी.टी.

संस्थापन दिनांक : 25.05.2012

फाइलिंग नंबर : 230303008742012

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एण्डौरी जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1—लाल सिंह पुत्र पातीराम कौशल उम्र 34 वर्ष निवासी— ग्राम एन्हो हाल—गांधी मेडीकल कॉलेज भोपाल म.प्र.

- अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा—4 म०प्र० मान्यता प्राप्त अधिनियम 1937) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०एस० गुर्जर)

## निर्णय

( आज दिनांक 23/01/18 को घोषित )

- 1- आरोपी पर दिनांक 15.03.2012 को 09:05 बजे शासकीय हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र एण्डौरी में मान्यता प्राप्त परीक्षा संचालित होते समय परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी वर्षा को नकल सामग्री देने का प्रयास कर मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3सी एवं डी का उल्लंघन करने हेतु म0प्र0 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 4 के अंतर्गत आरोप है।
- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि जिला दण्डाधिकारी महोदय भिण्ड द्वारा 27.02.2012 को धारा 144 द0प्र0स0 का आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। दिनांक 15.03.2012 को फरियादी रामनिवास ओझा की ड्यूटी पैनल में थी समय करीबन 09:05 बजे एसडीएम

गोहद परीक्षा केन्द्र पर आए थे। फरियादी पटवारी रामनिवास ओझा एसडीएम गोहद के साथ घूम रहा था उसी समय आरोपी लाल सिंह अपनी बहिन वर्षा को नकल फाड़कर देने का प्रयास कर रहा था उसने आरोपी से मैथ गाईड, नोट्स व अन्य सामग्री पकड़ी थी फिर वह आरोपी को मय सामग्री साथ लेकर थाने गया था। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी एण्डौरी को लेखीए आवेदन दिया गया था। फरियादी के आवेदन के आधार पर थाना एण्डौरी में अपराध कमांक 17/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- 5. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुआ</u> है:—
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.03.12 को 09:05 बजे शासकीय हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र एण्डौरी में मान्यता प्राप्त परीक्षा संचालित होते समय परीक्षा केन्द्र पर अपनी बहिन वर्षा को नकल सामग्री देने का प्रयास किया ?
- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से राजेन्द्र सिंह अ०सा०1, कमल किशोर शर्मा अ०सा०2, फरियादी रामनिवास औझा अ०सा०3, सेवानिवृत्त ए०एस०आई० हरगोविन्द सिंह अ०सा०4, रमाकांत दुबे अ०सा०5, एवं प्रधान आरक्षक लालता प्रसाद औझा अ०सा०6 को परीक्षित कराया गया है जबिक बचाव के दौरान आरोपी लालसिंह कौशल ब०सा० 1 द्व ारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामनिवास औझा अ०सा० 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 15.03.2012 को उसकी डयूटी हाईस्कूल एण्डौरी में परीक्षा में लगी हुई थी उसके साथ रमाकांत दुबे, कमलिकशोर, राजेन्द्र सिंह गुर्जर आदि भी थे। लाल सिंह नकल फाड़कर अपनी बिहन वर्षा को दे रहा था। उसने लाल सिंह को पकड़ लिया था। परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर के अंदर प्रवेश वर्जित था। उसके साथ एसडीएम दौलतानी भी थे फिर उसे थाने ले जाकर रिपोर्ट की थी। आरोपी के पास गाईड थी किस कंपनी की थी उसे याद नहीं है। अन्य खाली कागज भी थे उसे पुलिस को दे दिया था। प्रपी2 का आवेदन उसने थाने

जाकर दिया था जो उसकी हस्तिलिप में है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तपंचनामा प्रपी3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टीकल ए1 की गाईड वहीं गाईड है जो आरोपी से प्राप्त हुई थी। गोल्डन सीरीज वहीं है जो आरोपी के पास में मिली थी। आर्टीकल ए3 का पर्चा भी आरोपी से प्राप्त हुआ था जो उसके द्वारा पुलिस को दिया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टीकल ए4 एव ए5 वहीं कागज है जो आरोपी से प्राप्त हुए थे जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जिस व्यक्ति से आर्टीकल ए1, 2, 4, 5 के कागज मिले थे वह व्यक्ति स्कूल के ग्राउन्ड में मिला था। ग्राउन्ड में उनके एवं आरोपी के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने घटना दिनांक को 5—6 कमरों में परीक्षार्थियों को चैक किया था। उसे नहीं पता कि जिस व्यक्ति से उसने दस्तावेज पकड़े थे उसकी बहिन वर्षा किस कमरे में परीक्षा दे रही थी। जिस व्यक्ति से दस्तावेज पकड़े थे वह बाहर से पकड़े थे अंदर से कोई दस्तावेज नहीं पकड़ा था। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी किस परीक्षार्थी को नकल कराने का प्रयास कर रहा था और किस प्रश्न की नकल कराने का प्रयास कर रहा था उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने अपने कथन में बताया है।
- 9. साक्षी राजेन्द्र सिंह असा० 1 एवं रमाकांत दुबे असा० 5 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को पटवारी रामनरेश के साथ हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र एण्डौरी में चैकिंग पर जाने एवं आरोपी द्वारा नकल कराने का प्रयास किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।
- 10. साक्षी कमल किशोर शर्मा असा० 2 अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 15.03.12 को सुबह 9 बजे एण्डौरी में हाई स्कूल की परीक्षा थी। तत्कालीन एडीएम एम०एल० दौलतानी, रमाकांत दुबे, पटवारी रामनिवास औझा, राजेन्द्र सिंह गुर्जर परीक्षा डयूटी में चैकिंग के लिए गये थे वहां पर कुछ लड़के नकल कराने के लिए आए थे वहां पर विवाद हुआ था और एक लड़के के लिखाफ एडीएम ने कार्यवाही की थी लालसिंह के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी वह लड़का गाईड में से नकल करा रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी प्रकरण में संलग्न गाईड से नकल करा रहा था। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे याद नहीं है कि आरोपी किस लड़के को नकल दे रहा था और न ही उसने नकल देते समय उस लड़के को देखा था।
- 11. प्रधान आरक्ष लालता प्रसाद औझा असा0 6 ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 15.03.2012 को उसके सामने आरोपी लालसिंह से एक गाईड, सैम्पल पेपर, एक गोल्डन सीरीज, लाल लाईनिंग वाले सफेद कोरे कागज एवं लाईनदार कागज जिसमें सही, गलत, खालिस्तान हाथ से लिखे थे तथा गाईड का कागज जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रपी3 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रपी5 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं।

- 12. साक्षी सेवानिवृत्त हरगोविन्द सिंह असा० ४ ने प्रपी४ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहें हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।
- 14. आरोपी द्वारा बचाव में स्वयं को परीक्षित कराया गया है। आरोपी लाल सिंह बसा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह वर्तमान में गांधी मेडीकल कॉलेज भोपाल में अध्ययनरत हैं। दिनांक 15.03. 12 को गोहद चौराहे से ग्रम एन्हो जा रहा था वह एण्डौरी गांव के पास स्थित स्कूल जो कि रोड के किनारे है वहां से गुजर रहा था तभी अचानक कुछ पुलिस वाले आए और उसे पकड़कर ले गये थे उसने काफी निवेदन किया था फिर भी उसे नहीं छोडा था।
- 15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामनिवास ओझा असा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 15.03.12 को आरोपी लाल सिंह को हाईस्कूल एण्डौरी में अपनी बहिन वर्षा को नकल कराते हुए पकड़ा था। साक्षी रामनिवास असा0 3 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि लालसिंह नकल फाड़कर अपनी बहिन वर्षा को दे रहा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी उसे स्कूल के ग्राउन्ड में मिला था। इस प्रकार रामनिवास असा0 3 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी लालसिंह उसे स्कूल के ग्राउन्ड में मिला था जबिक राजेन्द्र सिंह असा0 1 एवं रमाकांत दुबे असा0 5 का कहना है कि आरोपी लालसिंह को परीक्षा केन्द्र के बाहर पकड़ा था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी रामनिवास असा03 के कथन साक्षी राजेन्द्र सिंह असा0 1 एवं रमाकांत दुबे असा05 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं।
- साक्षी रामनिवास असा० 3 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है 16. कि आरोपी लालसिंह नकल फाड़कर अपनी बहिन वर्षा को दे रहा था परंत् प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि जिस व्यक्ति से उसने दस्तावेज पकडे थे उसकी बहिन वर्षा किस कमरे में परीक्षा दे रही थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसे यह भी जानकारी नहीं है कि आरोपी किस परीक्षार्थी को नकल कराने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर भी साक्षी रामनिवास असा० 3 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। रामनिवास असा० 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि लालसिंह अपनी बहिन वर्षा को नकल फाडकर दे रहा था परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी किस परीक्षार्थी को नकल कराने का प्रयास कर रहा था। उक्त साक्षी को यह भी जानकारी नहीं है कि आरोपी की बहिन वर्षा किस कमरे में परीक्षा दे रही थी। इस प्रकार उक्त बिन्द् पर रामनिवास असा० ३ के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते है।
- 7. साक्षी राजेन्द्र सिंह असा01 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया

है कि घटना वाले दिन एसडीएम के साथ परीक्षा चैकिंग के पेनल में गया था एवं वहां पर 200 गज के अंदर लालसिंह नाम का लड़का गाईड लिये हुए खड़ा था और नकल कराने का प्रयास कर रहा था जिसे उसने पकड़ा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि परीक्षा केन्द्र के बारह से उस व्यक्ति को पकडा था तथा 200 गज की दूरी पर काफी लोग बैठे थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने ऐसा कोई दस्तावेज या प्रश्न उत्तर नहीं मिला था जिससे आरोपी मिलान करके परीक्षा केन्द्र के अंदर भेज रहा हो तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को नकल देते व कराते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार राजेन्द्र सिंह असा0 1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि लालसिंह 200 गज के अंदर गाईड लिये हुए खड़ा था परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी परीक्षा केन्द्र के बाहर था तथा आरोपी के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला था तथा उसने आरोपी को नकल देते व कराते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार राजेन्द्र सिंह असा1 के कथनों से यही स्पष्ट होता है कि उसने आरोपी को नकल देते हुए नहीं देखा था और न ही उसके सामने आरोपी के पास से कोई दस्तावेज मिले थे। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

- 18. साक्षी कमल किशोर असा० 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक को वह परीक्षा डयूटी पर चैंकिंग के लिए गया था तो वहां पर कुछ लड़के नकल कराने के लिए आए थे जिनसे विवाद हुआ था वहां लालिसंह गाईड में से नकल करा रहा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे याद नहीं है कि आरोपी किस लड़के को नकल दे रहा था और उसने आरोपी को नकल देते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार कमल किशोर असा० 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी लाल सिंह गाईड से नकल करा रहा था परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी किसे नकल करा रहा था एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को नकल देते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार कमल किशोर असा०2 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 19. साक्षी रमाकांत दुबे असा० 5 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह एसडीएम महोदय के साथ एण्डौरी स्कूल परीक्षा केन्द्र पर चैकिंग के लिए गया था तो वहां एक लड़का परीक्षा केन्द्र से 100—150 किमी० की दूरी पर गाईड व नकल सामग्री लेकर प्रश्न पत्र में से ढूंडकर फाड़ रहा था। जिसे उन लोगों ने पकड़ा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी से क्या सामग्री पकड़ी गयी थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। साक्षी रमाकांत दुबे असा० 5 ने अपने कथनों के दौरान आरोपी की पहचान नहीं की है तथा व्यक्त किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह तो बताया है कि घटनावाले दिन एक लड़का गाईड एवं नकल सामग्री लेकर प्रश्नपत्र में से ढूडकर फाड़ रहा था परंतु उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी लाल सिह नकल सामग्री लिये हुए था।

उक्त साक्षी द्वारा आरोपी लाल सिंह की पहचान भी नहीं की गयी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी से क्या सामग्री जप्त की गयी थी। इस प्रकार रमाकांत दुबे असा० 5 के कथनों से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी लालसिंह घटना दिनांक को नकल कराने का प्रयास कर रहा था एवं उससे नकल सामग्री जप्त हुई थी।

साक्षी प्रधान आरक्षक लालताप्रसाद ओझा असा० ६ ने अपने मुख्य परीक्षण में उसके सामने घटना दिनांक को आरोपी लाल सिंह से गाईड, सैम्पल पेपर, कागज इत्यादि जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रपी3 तैयार करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि जप्तशुदा दस्तावेज राधाकृष्ण दीवानजी ने किससे जप्त किए थे उसे जानकारी नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवेचक राधाकृष्ण की मृत्यू हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा राधाकृष्ण को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। प्रधान आरक्षक लालता प्रसाद असा० 6 जो कि जप्तीपंचनामा प्रपी3 का साक्षी है ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी लाल सिंह से प्रपी3 में वर्णित अनुसार सामग्री जप्त होना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि राधाकृष्ण दीवान जी ने उक्त दस्तावेज किससे जप्त किये थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रपी3 के जप्तीपंचनामे के अनुसार आरोपी लाल सिंह से प्रपी3 की जप्ती नहीं हुई है तथा प्रधान आरक्षक लालता प्रसाद असा6 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि राधाकृष्ण दीवान जी ने किससे दस्तावेज जप्त किये थे। इस प्रकार लालताप्रसाद ओझा असा० 6 के कथनो से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी को प्रपी3 की जप्ती के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि प्रपी3 में वर्णित दस्तावेज किससे जप्त हुए थे। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार 21. आरोपी घटना वाले दिन अपनी बहिन वर्षा को नकल फाडकर देने का प्रयास कर रहा था तथा अभियोजन कहानी के अनुसार पटवारी रामनिवास ओझा ने आरोपी को मय नोटस व नकल सामग्री के पकडा था। आरोपी लाल सिंह बसा0 1 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह स्कूल के पास से गुजर रहा था इस प्रकार आरोपी के उक्त कथन से यह तो प्रमाणित है कि आरोपी घटना दिनांक को स्कूल के पास से निकला था। अब अभियोजन को यह प्रमाणित करना था कि क्या आरोपी द्वारा अपनी बहिन वर्षा को नकल कराने का प्रयास किया गया था। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पटवारी रामनिवास ओझा आसा० 3 ने आरोपी से आर्टीकल ए1 लगायत ए 5 के दस्तावेज प्राप्त होना बताया है परंतु अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज पंचनामा इत्यादि मौजूद नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि आर्टीकल ए1 लगायत ए५ के दस्तावेज आरोपी से जप्त किये गये थे। अभियोजन कहानी के अनुसार पटवारी रामनिवास ओझा ने आरोपी को मय नोटस एवं नकल सामग्री के पकड़ा था परंत् उक्त संबंध में कोई पंचनामा कोई जप्ती अभिलेख पर नहीं है। प्रपी3 की जप्ती आरोपी लालसिंह से नहीं हुई है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज, पंचनामा, जप्तीनामा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया

है जिससे यह दर्शित होता हो कि आर्टीकल ए1 लगायत ए5 की नकल सामग्री लिये हुए था।

- जहां तक उक्त संबंध में आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो 22. वहां यह उल्लेखनीय है कि रामनिवास असा० 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरानयह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी की बहिन वर्षा किस कमरे में परीक्षा दे रही थी और न ही उसे यह जानकारी है कि आरोपी किस परीक्षार्थी को नकल कराने का प्रयास कर रहा था। फरियादी रामनिवास असा0 3 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपी से जो दस्तावेज पकडे थे वह बाहर से पकडे थे। फरियादी असा0 3 द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी किस तरीके से परीक्षा केन्द्र के बाहर से नकल देने का प्रयास कर रहा था। उकत साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे जानकारी नहीं थी कि आरोपी की बहिन वर्षा किस कमरे में बैटी थी। ऐसी स्थिति में जबकि साक्षी रामनिवास असा0 3 द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है एवं आरोपी से नकल सामग्री जप्त किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज भी अभिलेख पर नहीं है प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी परीक्षा केन्द्र पर नकल कराने का प्रयास कर रहा था। साक्षी राजेन्द्र सिंह असा0 1 ने भी अपनेकथन में यह बताया है कि उसने आरोपी को नकल देते व कराते हुए नहीं पकड़ा था। साक्षी असा० 2 कमलिकशोर ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसने आरोपी को नकल देते हुए नहीं देखा था। रमाकांत दुबे असा05 ने भी आरोपी की पहचान नहीं की है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 23. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी रामनिवास ओझा असा0 3, राजेन्द्र सिंह असा0 1, कमलिकशोर शर्मा असा0 2 एवं रमाकांत दुबे असा0 5 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। प्रधान आरक्षक लालताप्रसाद असा0 6 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई पंचनामा अथवा जप्तीनामा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी से नकल सामग्री जप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं हाता है कि आरोपी घटना दिनांक को नकल कराने का प्रयास कर रहा था। प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 24. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। आरोपी को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 15.03.2012 को 09:05 बजे शासकीय हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र एण्डौरी में मान्यता प्राप्त परीक्षा संचालित होते समय परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी वर्षा को नकल सामग्री देने का प्रयास कर मान्यता

प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3सी एवं डी का उल्लंघन किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी लाल सिंह कौशल को संदेह का लाभ देते हुए उसे म0प्र0 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

26. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

27. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान– गोहद

दिनांक :- 23.01.2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

